

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

दिनांक-05.08.2021

पत्र सं.-ECR-HQOPERS(SEL)/21/2020

- मंडल रेल प्रबंधक(का.) / पूर्व मध्य रेल, दानापुर, डीडीयू धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
- अध्यक्ष / रे.भ.बो. / महेन्द्रघाट / पटना।
- अध्यक्ष / आरआरसी / मौर्यलोक कम्पलेक्स / पटना।
- उप मुकाधि / निर्माण / महेन्द्रघाट / पटना।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक / समस्तीपुर, पीडी / डीडीयू एवं सीआरडब्ल्यू / हरनौत।

अधिसूचना

विषय:-20%LDCE कोटे के तहत कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक(SWI)से मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI), लेवल-7 पर पदोन्नति।

मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI) लेवल-7 में 20%LDCE कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्तियों को भरने हेतु लेवल-6 में कार्यरत कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्तियों की कुल संख्या- **06(UR-04, SC-01, ST-01)**

पात्रता की शर्तें:-

पूर्व मध्य रेल में कार्यरत स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) लेवल-6, जो इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तिथि को कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) पद पर नियमित दो वर्षों की सेवा पूरी पर चुके हैं, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI) लेवल-7 LDCE हेतु पात्र होंगे/होंगी।

चयन की प्रक्रिया:-

- रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.-161/2009 के अनुसार यह चयन पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा एवं नामिका मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.-196/2018 के अनुसार सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।
- वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसे-काटना, ओवर राइटिंग, लिखा हुआ मिटाना, एक बार दिया गया उत्तर काट देना या किसी अन्य उत्तर को चिन्ह करना, किसी भी प्रकार से उत्तर में परिवर्तन करना इत्यादि। सुधार किया गया उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $\frac{1}{3}$ निगेटिव अंक प्रदान किया जायेगा जो कुल प्राप्तांक में से घटाया जायेगा।
- रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.-102/2005 के अनुसार चयन में लिखित परीक्षा एवं सेवा के अभिलेखों का आकलन सम्मिलित रहेगा। लिखित परीक्षा में निष्पादन(Performance) के लिए 85% तथा सेवा के अभिलेख के लिए 15% अंक दिए जायेंगे। अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए सामान्य छूट के प्रावधानों के अतिरिक्त संपूर्णतः 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले, अभ्यर्थी नामिका में सम्मिलित किये जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करेंगे।
- उक्त LDCE पूर्णतः प्रतियोगिता के आधार पर होगी एवं नामिका मेरिट के आधार पर बनाई जायेगी।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवार आवेदन पत्र में इस बात को स्पष्ट करेंगे की वे अनु.जाति/अजजा. के सदस्य हैं। आवेदन पत्र के साथ वे जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।
- कुल प्रश्नों का 10% प्रश्न राजभाषा से होगा, जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा।



8. पात्र स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) इसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना समझेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथ बॉल पेन (काला एवं ब्लू स्याही) स्वयं लाना होगा। इस कार्यालय से प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पुस्तिका की आपूर्ति की जाएगी।

9. 20%LDCE के तहत मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी के रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं. -133/2012 के तहत निर्धारित 21 दिनों का प्रशिक्षण, कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि Annexure-A में संलग्न है।

पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) जो उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करते हों और लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक हों, संलग्न आवेदन-पत्र प्रारूप (Annexure-B) पर अपना आवेदन संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारी को दिनांक 03.09.2021 से पहले अवश्य प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारी कर्मचारियों का सेवा विवरण उनके सेवा अभिलेख से जांच कर, केवल पात्र कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों का आवेदन दिनांक 08.09.2021 तक वकाधि/ईएसएम के नाम अग्रसारित कर विशेष वाहक द्वारा एक बंच में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना निर्धारित प्रोफार्मा, बिना हस्ताक्षर तथा बिना संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अतः सभी संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसे लगावे तथा इसका व्यापक प्रचार करें एवं यदि कोई कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षण (SWI) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों तो उन्हें भी सूचित करना संबंधित लियन धारित कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा विवरण गलत प्राप्त होता है तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। चयन होने के उपरांत भी उम्मीदवारी निरस्त किए जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक-यथोक्त


5.8.2021

(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ईएसएम

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूरमे/हाजीपुर

प्रतिलिपि -

1. प्रमुकाधि महोदय के सचिव-प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ
2. मुकाधि/प्र. महोदय के निजी सचिव-मुकाधि/प्र. महोदय के सादर सूचनार्थ
3. मुकाधि/आईआर महोदय के गोपनीय सहायक मुकाधि/आईआर महोदय के सादर सूचनार्थ
4. उपमुकाधि/मुख्यालय/आईआरडब्लू/राज. पूरमे/हाजीपुर
5. वकाधि/भर्ती/बिल पूरमे/हाजीपुर
6. सकाधि/राज./पूरमे/हाजीपुर
7. सकाधि/एमपीपी/पूरमे/हाजीपुर पूरमे के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
8. महामंत्री, ईसीआरकेयू/पूरमे/हाजीपुर
9. सूचनापट।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूरमे/हाजीपुर

SYLLABUS FOR THE POST OF CHIEF STAFF&WELFARE INSPECTOR in (LEVEL-7)

- 1- Writing skills.
- 2- RLT Award and Hours of Employment Regulation.
- 3- Welfare activities for Railway employees:-
 - (a) Staff Benefit Fund
 - (b) School policy on railways.
 - (c) Cultural activities.
 - (d) Recreation centers and clubs.
 - (e) Handicraft centers.
 - (f) Canteens.
 - (g) Co-operative stores/Societies.
 - (h) Sports activities.
 - (i) Scouts and Guides.
 - (j) Holiday Homes
- 4- Employment on Compassionate Grounds.
- 5- Medical examination of Railways employees, Medical de-categorization and absorption of medically de-categorized staff.
- 6- Loans and advances available to Railway employees.
- 7- Man-power planning:-
 - (a) Vacancy Bank Register.
 - (b) Bench-Marking.
 - (c) Creation of posts.
 - (d) Supernumerary posts.
 - (e) Redeployment of surplus staff.
- 8- Uniform Policy:-
 - (a) Eligibility of staff
 - (b) Periodicity of supply of uniform.
 - (c) Procedure for change in classification.
- 9- Pay and allowances.
- 10- Pass Rules.
- 11- Railways Pension Rules.
- 12- Leave Rules.
- 13- Grievances Redressal Machinery
- 14- Recognition of Trade Unions, Permanent Negotiation Machinery, Dealing with unrecognized Unions/Associations, facilities to office-bearers of Recognized Unions/Associations.
- 15- General conditions of service.
- 16- RELHS
- 17- RTI
- 18- LARSGESS
- 19- Labour laws

Note:- (i) Question paper will be normally to assess the writing and analytical power of the Candidates with respect to various topics as above.

(ii) In terms of para 7(I) (v) Railway Board's letter No. E(NG)108/PM1/7 dated 20.10.1999 Circulated vide RBE No. 272/1999, at least 10% of the total marks prescribed for the written test should be on Official language policy and Rules



PERFORMA

Application for the post of Chief Staff & Welfare Inspector in Level-7 against 20% LDCE Quota.

1	Name of the Employee:-		Attested Photograph
2.	Date of Birth:-		
3.	Date of Appointment:-		
4.	Present Designation:-		
5.	Previous Grade:-		
6.	Date of entry in the present GP:-		
7.	Regular two (2) years completed in present GP as on:-		
8.	Date of entry in previous GP:-		
9.	Whether belonging to SC/ST:-		
10.	Educational Qualification:-		
11.	Other Qualification for fulfilling eligibility criteria:-		
12.	Working Place/Division/Units:-		

I am willing to take up assignment of Chief Staff & Welfare Inspector anywhere in the East Central Railway.

Date:-

Signature of the applicant

Verified and certified as correct. The applicant strictly fulfils the eligibility criteria.

Controlling Officer.

Personnel Branch Officer

